[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या 40/2020-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 5 मई, 2020

सा.का.नि.....(अ)-सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), अधिसूचना सं. 35/2020-केंद्रीय कर, तारीख 03 अप्रैल, 2020 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 235(अ), तारीख 03 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पहले, प्रथम पैरा में, खंड (ii) में, निम्नलिखित परन्तुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु जहां केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के अधीन, मार्च, 2020 के 24वें दिन तक या उसके पूर्व, ई-वे बिल सृजित किया गया है और जिसकी वैधता की अवधि, मार्च, 2020 के 20वें दिन से अप्रैल, 2020 के 15वें दिन के दौरान समाप्त हो गई है, ऐसे ई-वे बिल की वैधता अवधि को मई, 2020 के 31वें दिन तक बढ़ा दिया गया माना जाएगा।"।

[फा.सं. सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण – मूल अधिसूचना सं. 35/2020–केंद्रीय कर, तारीख 03 अप्रैल 2020 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 235(अ), तारीख 03 अप्रैल 2020द्वारा प्रकाशित की गई थी।